बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

संख्या :– 7/नि० 3-02/06 – 429 पटना, दिनांक 27/06/012

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 तथा बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 की कंडिका 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षक नियोजन नियमावली, 2012 के क्रम में शिक्षक नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, निदेशों एवं परिपत्रों को निम्न हद तक संशोधित करते हुए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित मार्गनिदेश दिये जाते हैं :–

(मार्गनिदेश)

1– **नियोजन हेतु समय तालिका** :– राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई निम्नलिखित समय तालिका के अनुसार की जायेगी :–

(i)	जिला द्वारा नियोजन इकाईवार रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना–	दिनांक 30.06.2012 तक
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–	दिनांक 06–07–2012
(iii)	नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–	दिनांक 09–07–2012 से 15–07–2012 तक
(iv)	जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण–	दिनांक 21–07–2012 तक
(v)	सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन–	दिनांक 30–07–2012
(vi)	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि–	दिनांक 01–08–2012 से 30–08–2012 तक
(vii)	मेधा सूची की तैयारी–	दिनांक 01–09–2012 से 15–09–2012 तक

(viii)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन –	दिनांक 20–09–2012 तक
(ix)	मेधा सूची का प्रकाशन	दिनांक 22–09–2012
(x)	मेधा सूची पर आपत्ति–	दिनांक 24–09–2012 से 09–10–2012 तक
(xi)	आपत्तियों का निराकरण–	दिनांक 13–10–2012 तक
(xii)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन–	दिनांक 16–10–2012
(xiii)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान / जाँच –	दिनांक 17–10–2012 से 31–10–2012 तक
(xiv)	जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखण्ड के मेधा सूची का अनुमोदन –	दिनांक 10–11–2012 तक
(xv)	नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण –	दिनांक 16–11–2012 तक
(xvi)	नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करना –	दिनांक 21–11–2012 से 23–11–2012

2– **नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना एवं वितरण** :– नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग I से V) के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (वर्ग VI से VIII) के लिए अलग की जायेगी। प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नांकित तीन विषयों के शिक्षक पद के नियोजन हेतु शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) सामान्य विषय के शिक्षक – (शैक्षिक योग्यता – इन्टरमीडियट)

(ख) उर्दू भाषा के शिक्षक – (शैक्षिक योग्यता – बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा उर्दू योग्यताधारी अभ्यर्थी – 100 अंकों के उर्दू में इन्टरमीडियट उत्तीण)

(ग) बांग्ला भाषा के शिक्षक – (शैक्षिक योग्यता – इन्टर में 100 अंकों का बांग्ला विषय में उत्तीण)

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं (मध्य विद्यालय) के लिए आवश्यकतानुसार निम्नांकित विषयों के पद पर शिक्षकों के नियोजन हेतु शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगी :–

(क) स्नातक गणित एवं विज्ञान के शिक्षक

शैक्षिक योग्यता :–

(i) गणित – गणित, भौतिकी, रसायन

(ii) विज्ञान – रसायन, जीव विज्ञान

(ख) स्नातक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक (शैक्षिक योग्यता – इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शनशास्त्र, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में स्नातक स्तर में किसी दो विषय में उत्तीर्ण किन्तु इनमें एक पठित विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।

(ग) स्नातक भाषा के शिक्षक (शैक्षिक योग्यता – हिन्दी के लिए स्नातक स्तर पर पठित हिन्दी विषय तथा अंग्रेजी के लिए स्नातक स्तर पर पठित अंग्रेजी विषय)

(घ) संस्कृत भाषा के शिक्षक (संस्कृत में स्नातक/शास्त्री की डिग्री)

(ड) उर्दू शिक्षक (शैक्षिक योग्यता – आलीम की डिग्री अथवा उर्दू भाषा में स्नातक)

जिला के विभिन्न नियोजन इकाईयों में रिक्त पदों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नये पदों को जिला पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर क्लीयर कराकर विभिन्न नियोजन इकाईयों को समय पर वितरित कर दिया जायेगा। पदों का वितरण विद्यालयवार आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त के अनुसार प्राथमिक कक्षा वर्ग I से V तथा उच्च प्राथमिक कक्षा वर्ग VI से VIII के लिए अलग–अलग पदों का वितरण किया जायेगा। **संस्कृत शिक्षकों का पद केवल मध्य विद्यालयों (वर्ग VI से VIII) के लिए दिये जायेंगे**। पदों के वितरण में यह तथ्य ध्यान में रखा जायेगा कि सामान्यतः शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता नही होगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 5–7 पद तथा मध्य विद्यालय में 12–14 पद से ज्यादा पद की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होगी। ज्यादा पदों की माँग होने पर इसकी समीक्षा करने के उपरान्त ही अतिरिक्त पद दिया जाए। आवश्यकतानुसार पदों के निर्धारण में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

3– **आरक्षण रोस्टर का पालन एवं बैकलॉग** :– सामान्य प्रशासन विभाग के अधिनियम निर्देश/आदेश के आलोक में नियोजन के क्रम में आरक्षण के बैकलॉग को लेते हुए विभिन्न कोटि के पदों की गणना की जायेगी। नियोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले पदों का प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग जिला स्तर पर समूहीकरण कर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक – 62 दिनांक 05.01.2007 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियोजन में विकलांग उम्मीदवारों को 3 प्रतिशत समानान्तर आरक्षण का लाभ देय होगा तथा विकलांगो के लिए आरक्षण पंजी अलग से संधारित किया जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त पत्र में वर्णित प्रावधानो (बैकलॉग पदों की गणना सहित) का पालन किया जायेगा।

4– **महिला के लिए पदों का निर्धारण** :– प्रत्येक विषय के प्रत्येक कोटि में नियोजन नियमावली के अनुसार 50% महिलाओं का नियोजन होगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ये पद रिक्त रहेंगे।

5– **शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन** :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा अपने–अपने नियोजन इकाई के लिए निर्धारित तिथि को शिक्षक नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन निश्चित रूप से किया जायेगा। प्रकाशित सूचना में नियोजित किये जानेवाले शिक्षक पदों की कोटिवार संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्धारित तिथि को सूचना का प्रकाशन कर दिया जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा प्रकाशित सूचना की एक प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार प्रखण्ड एवं नगर निकाय के शिक्षकों के नियोजन से सम्बन्धित सूचना के प्रकाशन की एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा यथासंभव नियोजन सम्बन्धी सभी सूचनायें विभागीय वेबसाइट पर भी देने की कार्रवाई की जाएगी।

6– **आवेदन पत्र** :– भारत के नागरिक के द्वारा विहित प्रपत्र (संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची –2) मे अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र (अंक पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ) नियमानुसार संबंधित नियोजन इकाई के पास निर्धारित तिथि तक केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

7– **आवेदन पत्रों का पंजी में संधारण** :– प्रत्येक ग्राम पंचायत के नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा मेधा सूची, नियोजन हेतु काउंसिलिंग आदि का ब्योरा पंजी में संधारित किया जायेगा। पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव तथा शिक्षक सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। नियोजन इकाई के सचिव के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदन पत्रों की प्रविष्टि के उपरान्त पंजी को क्लोज कर दिया जायेगा एवं संबधित नियोजन इकाई के सचिव तथा शिक्षक सदस्य के द्वारा उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कर दिया जायेगा। पंचायत समिति तथा नगर निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों का संधारण, मेधा सूची का निर्माण आदि कम्पयूटर में भी किया जा सकेगा।

8– **पूर्व के नियोजित शिक्षकों द्वारा आवेदन** :– राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व के नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, के द्वारा दूसरे नियोजन इकाईयों में नियोजन हेतु उचित स्त्रोत (नियोजन पदाधिकारी के अग्रसार । से) से आवेदन दिया जा सकेगा। बिना उचित स्त्रोत से प्राप्त आवेदन को रद्द किया जा सकेगा। ऐसे आवेदकों का किसी नियोजन इकाई में किया गया नया नियोजन प्रथम नियोजन माना जायेगा और उनकी पूर्व की सेवा अवधि के आधार पर केवल वेतन संरक्षण का लाभ नये नियोजन इकाई में अनुमान्य होगा। अन्य कोई लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

9– **मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन** :– प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा नियमों के आलोक में मेधासूची तैयार की जायेगी। निर्धारित तिथि को मेधासूची का प्रकाशन (प्रत्येक कोटि में) किया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र दिये जायेंगे जिसके आधार पर मेधासूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये

स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों का मिलान एवं जाँच निर्धारित तिथि को की जायेगी। किन्तु किसी अभ्यर्थी की अनुपस्थिति के कारण उसके नियोजन के दावे को रद्द नहीं किया जा सकेगा।

10– **राष्ट्रीय संस्थानों/प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों की मान्यता :–** शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा प्रदत्त उपाधी/प्रमाण पत्र को शिक्षक नियोजन हेतु अमान्य किये जाने सम्बन्धी विभिन्न आदेशों/निर्देशों की कॉपी इसके साथ संलग्न की जा रही है।

11– **नियोजन हेतु अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत करना :–** अंतिम रूप से प्रकाशित मेधासूची के आधार पर नियमों के अन्तर्गत जिला द्वारा प्रदत्त आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोजन नियमावली के अनुसार प्रत्येक बार रिक्ति के अनुसार ही चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निबंधित डाक द्वारा भेजा जायेगा।

नियोजन पत्र प्राप्ति के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित अभ्यर्थी पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान कर लेंगे।

12– **प्रमाण पत्रों का सत्यापन –** नियोजन के पश्चात नियोजन इकाईयों के द्वारा 15 दिनों के अन्दर प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सभी प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्रों की जाँच की कार्रवाई की जाएगी।

13– **अपीलीय प्राधिकार :–** शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों का निष्पादन जिला स्तर पर गठित जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा। पूर्व के लम्बित अपील के मामले पूर्व की नियमावली के आलोक में निष्पादित किया जायेगा।

14– **शिक्षक नियोजन का अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन :–** शिक्षक नियोजन की कार्रवाई का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर से किया जायेगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिलावार नियोजन की सूचना विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

22/06/2012

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)/सभी प्रमुख, पंचायत समिति/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी मुखिया ग्राम पंचायत/सभी ग्राम पंचायत के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/2012

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 425 .... पटना, दिनांक 22/06/012

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य, जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/6/2012

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

बिहार राज्य के प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा I से V तक) में शिक्षक नियोजन हेतु

आवेदन प्रपत्र (अनुसूची I)

1. शिक्षक की कोटि

(क) नगर शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(क) प्रखण्ड शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(क) पंचायत शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(जो लागू हो उसे (✓) करें)

2. विषय का नाम :– सामान्य / उर्दू / बांग्ला ☐

3. अभ्यर्थी का नाम :–
(i) हिन्दी में ....
(ii) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ....

पासपोर्ट साइज का स्व–अभिप्रमाणित फोटो

4. (क) पिता / पति का नाम :–

(ख) माता का नाम :–

5. जन्म तिथि :–

6. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐

7. 1 अगस्त, 2012 को आयु :– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐

8. स्थायी पता :– ....

....

....

थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :– ....

9. पत्राचार का पता :– ....

....

....

थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :– ....

10. कोटि :– अनारक्षित ☐ आरक्षित ☐

11. यदि आरक्षित कोटि के हैं तो आरक्षण की कोटि :–

अनु० जा० ☐ अनु० ज० जा० ☐ अत्यन्त पि० व० ☐

पिछडा व० ☐ पि० व० (महिला) ☐

12. यदि विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रकार :–

दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐

13. विकलांगता का प्रतिशत :– ☐

(40% से कम वाले अभ्यर्थी इस कोटि में आवेदन नहीं करेंगे)

14. योग्यता :–

शैक्षणिक	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद / विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांक (अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषय को छोड़कर)		प्रतिशत अंक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(i) मैट्रिक							
(ii) माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / इन्टर							
प्रशैक्षणिक योग्यता :–							
(iii) दो वर्षीय प्रशिक्षण / बी० एल० एड०							
योग :– (प्रतिशत अंकों का योग)							

नोट :– यदि ऐच्छिक विषय अनिवार्य हो तो प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा।

भाग – 'ख'

(कार्यालय के द्वारा भरा जायेगा)

	मेधा अंक
(i) प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 3 (प्रशिक्षित के लिए)	
(ii) प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 2 (अप्रशिक्षित के लिए)	
(iii) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET में प्राप्त कुल अंक)	
(iv) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में प्राप्त प्रतिशत अंक नियमावली के अनुसार वेटेज अंक	
(v) कुल मेधा अंक (i) / (ii)	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :– ....

तिथि :– ....

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

बिहार राज्य के मध्य विद्यालयों (कक्षा VI से VIII तक) में शिक्षक नियोजन हेतु

आवेदन प्रपत्र (अनुसूची II)

1. शिक्षक की कोटि

(क) नगर शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(क) प्रखण्ड शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(जो लागू हो उसे (✓) करें)

2. विषय का नाम :– स्नातक गणित एवं विज्ञान / ☐
स्नातक सामाजिक विज्ञान /
स्नातक भाषा (हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू)

पासपोर्ट साइज का स्व–अभिप्रमाणित फोटो

3. अभ्यर्थी का नाम :–
(i) हिन्दी में ☐
(ii) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ☐

4. (क) पिता / पति का नाम :–

(ख) माता का नाम :–

5. जन्म तिथि :–

6. लिंग :– पुरूष ☐ महिला ☐

7. 1 अगस्त, 2012 को आयु :– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐

8. स्थायी पता :– ....

....

....

थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :–............................

9. पत्राचार का पता :– ....

....

....

थाना :– .... जिला :– .... पिन कोड :–............................

10. कोटि :– अनारक्षित ☐ आरक्षित ☐

11. यदि आरक्षित कोटि के हैं तो आरक्षण की कोटि :–

अनु० जा० ☐ अनु० ज० जा० ☐ अत्यन्त पि० व० ☐

पिछडा व० ☐ पि० व० (महिला) ☐

12. यदि विकलांग हैं तो विकलांगता का प्रकार :–

दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐

13. विकलांगता का प्रतिशत :– ☐

(40% से कम वाले अभ्यर्थी इस कोटि में आवेदन नहीं करेंगे)

14. योग्यता :–

भाग – 'क'

(आवेदक के द्वारा भरा जायेगा)

शैक्षणिक	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	बोर्ड / परिषद / विश्व० का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल प्राप्तांक (अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषय को छोड़कर)		प्रतिशत अंक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(i) मैट्रिक							
(ii) माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक / इन्टर							
(iii) स्नातक / स्नातक प्रतिष्ठा							
प्रशैक्षणिक योग्यता :–							
(iv) दो वर्षीय प्रशिक्षण / बी० एल० एड० / बी० एड०							
योग :– (प्रतिशत अंकों का योग)							

नोट :– यदि ऐच्छिक विषय अनिवार्य हो तो प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा।

भाग – 'ख'

(कार्यालय के द्वारा भरा जायेगा)

	मेधा अंक
(i) प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 4 (प्रशिक्षित के लिए)	
(ii) प्रतिशत अंकों के कुल योग ÷ 3 (अप्रशिक्षित के लिए)	
(iii) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET में प्राप्त कुल अंक)	
(iv) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में प्राप्त प्रतिशत अंक नियमावली के अनुसार वेटेज अंक	
(v) कुल मेधा अंक (i) / (ii)	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :– ....

तिथि :– ....

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर